डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2001—फाल्गुन 25, शक 1922

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

12.50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ शासन (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूतियां, 2001 का प्रचलन

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक 298/ब-4/वित्त/2001.—छत्तीसगढ़ शासन 12.50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ शासन, (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूतियां, 2001 (जिसे इसके पश्चात् विशेष प्रतिभूतियां कहा जाएगा) अग्रिम सूचना तक के लिए प्रचलित करने हेतु अधिसूचना जारी करता है.

2. **उद्देश्य :** भारत के लोक लेखें में एक नवीन निधि नामश: ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' के निर्माण के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन भारत शासन की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से समय-समय पर प्राप्त राशियों के विरुद्ध इसके अधीन अधिसूचित विशेष प्रतिभूतियां प्रचलित करेगा.

3. **विशेष प्रतिभूतियों का अभिदान करने की पात्रता :** भारत शासन द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में से निवेश की गई राशियों के लिए सचिव, भारत शासन, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को विशेष प्रतिभूतियों के अभिदान करने की पात्रता होगी.

4. **न्यूनतम अभिदान :** विशेष प्रतिभूतियां न्यूनतम राशि रु. 1,00,000 (अंकित मूल्य) के लिए, तथा तत्पश्चात् रु. 1,00,000 के गुणितों के लिए प्रचलित की जाएंगी.

5. **प्रतिभूतियों का रूप :** विशेष प्रतिभूतियां 'स्कन्ध' के रूप में प्रचलित की जाएंगी तथा धारक के ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के लोक ऋण कार्यालय मे सहायक सामान्य खाता लेखे में संधारित की जाएंगी.

6. प्रचलन का मूल्य, तिथि तथा स्थान : (1) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर प्रचलित की जाएंगी,

(2) विशेष प्रतिभूतियों के प्रचलन की तिथि वह होगी जिस दिन विशेष प्रतिभूतियां सहायक सामान्य खाते में आकलित की जाती है, परन्तु जो राशियां राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से जारी कर उस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व ही आकलित कर दी गई है, उनके लिए विशेष प्रतिभूतियां के प्रचलन की तिथि शासन को आकलन की तिथि होगी.

(3) विशेष प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक नागपुर के लोक ऋण कार्यालय द्वारा प्रचलित की जाएंगी.

7. धारणावधि : विशेष प्रतिभूतियों की धारणावधि प्रचलन की तिथि से 25 वर्ष की होगी.

8. ब्याज : (1) विशेष प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा. ब्याज का भुगतान विशेष प्रतिभूतियों के प्रचलन की तिथि से वार्षिक अन्तराल पर होगा. प्रतिभूति पर ब्याज प्रचलन के लोक ऋण कार्यालय पर भुगतान योग्य होगा.

(2) ब्याज का भुगतान निकटतम सौ रुपए तक पूर्णांक कर किया जाएगा.

9. चुकारा : विशेष प्रतिभूतियों का चुकारा प्रचलन के छठवें वर्ष से प्रारम्भ करते हुए बीस वार्षिक किश्तों में किया जाएगा.

10. हस्तांतरण तथा रूपान्तरण : विशेष प्रतिभूतियां अहस्तांतरणीय होगी तथा इनका किसी अन्य रूप में रूपांतरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक शासन द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए.

11. प्रचलन के प्रबन्धक : भारतीय रिजर्व बैंक प्रचलन के प्रबंधक होंगे.

12. सांविधिक उपबन्ध : इस अधिसूचना में उपबन्धित विषयों के सिवाय प्रतिभूतियों से संबंधित किसी विषय का नियंत्रण लोक ऋण अधिनियम, 1944 तथा उसके अधीन निर्मित लोक ऋण नियमों, 1946 के द्वारा किया जाएगा.

सही/-
(एस. के. मिश्रा)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग.

वित्त विभाग

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2001

अधिसूचना

क्र. 299/ब-4/वित्त/2001.—लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 4 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए यह विनिर्दिष्ट करता हैं कि,—

(1) 12.50 प्रतिशत "छत्तीसगढ़ शासन, (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूतियां, 2001" स्कन्ध के रूप में प्रचलित की जायेंगी तथा धारक के ऋण पर लोक ऋण कार्यालय में सहायक सामान्य खाता लेखे में संधारित की जायेंगी.

(2) ये प्रतिभूतियां अहस्तांतरणीय होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव,

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

FINANCE DEPARTMENT

Issue of 12.50 per cent Government of Chhattisgarh (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2001

Raipur, the 16th March 2001

NOTIFICATION

No. 298/B-4/F/2001.—The Government of Chhattisgarh hereby notifies the issue of 12.50 per cent Government of Chhattisgarh, (National Small Savings Fund) (Non- transferable) Special Securities, 2001 (hereinafter called "special securities") from until further notice.

2. Objective : Consequent upon the creation of new fund in the Public Account of India called the "National Small Savings Fund" (NSSF), the Government of Chhattisgarh, shall issue the special securities notified hereunder against the amounts received by the Government from NSSF from time to time.

3. Eligibility for subscribing to Special Securities : The Secretary, Government of India, Ministry of Finance. Department of Economic Affairs shall be eligible to subscribe to special securities for amounts invested by Government of India from NSSF from time to time.

4. Minimum Subscription : Special securities will be issued for a minimum amount of Rs. 1,00,000 (face value) and in multiples of Rs. 1,00,000 thereafter.

5. Form of Securities : The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue : (i) The special securities will be issued at par.

(ii) The date of issue of special securities shall be the date on which the special securities are credited to the Subsidiary General Account, provided that in the case of amounts already released from NSSF and credited to the Government prior to this notification, the date of issue of special securities shall be the date of such credit to the Government.

(iii) The special securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure : The tenure of the special securities will be 25 years from the date of issue.

8. Interest : (i) The special securities will bear interest at the rate of 12.50 per cent per annum. Interest will be payable at annual intervals reckoned from the date of issue of the special securities. Interest on the security will be payable at the Public Debt Office of issue.

(ii) Interest will be paid after rounding off to the nearest hundred rupees.

9. Repayment : The special securities shall be repayable in twenty equal annual instalments starting from the 6th year from the date of issue.

10. Transferability and Conversion : The special securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

11. Managers to the Issue : Reserve Bank of India will be the manager to the issue.

12. Statutory Provisions : With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

Sd/-
(S. K. Misra)
Additional Chief Secretary
Government of Chhattisgarh
Finance Department.

FINANCE DEPARTMENT

Raipur, the 16th March 2001

NOTIFICATION

No. 299/B-4/F/2001.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Rule 4 of the Public Debt Rules, 1946 the Government of Chhattisgarh, hereby specifies for the purposes of sub clause (b) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) that,—

(i) 12.50 per cent Government of Chhattisgarh, (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2001 shall be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by Public Debt Office; and

(ii) these securities shall not be transferable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. MISRA, Additional Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.